Saathi

Date 29/10/2020

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

CLASS: B.A. (H) PART-2ND
SUBJECT: POL. SC.
PAPER: III rd
CH: 11 (THE COUNCIL OF MINISTERS & CHIEF MINISTER)
LECTURE NO. - 19

मंत्रिपरिषद और विधानसभा या विधानमंडल के बीच सम्बन्ध —

मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य के लिए राज्य विधानमंडल के किसी सदन विधान सभा या विधानपरिषद (यदि हो तो) का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि वह मंत्री पद ग्रहण करते समय किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अन्दर सदस्य बनना आवश्यक है अन्यथा उसे पद छोड़ना पड़ता है।

मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है अर्थात् मंत्रिपरिषद का अस्तित्व तब तक रहेगा जब तक उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त है।

विधानमंडल या विधानसभा के द्वारा मंत्रिपरिषद पर निम्नलिखित साधनों से नियंत्रण रखा जा सकता है —

(i) प्रश्न पूछकर —

विधानमंडल के सदस्यों का अधिकार है कि वे अधिवेशन के दिनों में मंत्रिपरिषद के सदस्यों से विभिन्न प्रशासनिक बातों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछें। इन प्रश्नों के आधार पर प्रशासन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने और प्रशासन पर नियंत्रण रखने का कार्य किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

Date ___/___/_____

(ii) कामरोको प्रस्ताव :—

कामरोको प्रस्ताव के द्वारा भी विधानमंडल मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखता है। यदि प्रशासन के क्षेत्र में कोई गम्भीर घटना घट जाय तो विधान-मंडल के प्रत्येक सदस्य को अधिकार है कि वह इस प्रकार प्रस्ताव रख सकता है कि पहले चल रहे विचार-विमर्श को स्थगित कर गम्भीर घटना पर पहले विचार किया जाय।

(iii) विधेयक या नीति की अस्वीकृति —

विधानमंडल को अधिकार है कि वह मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा प्रस्तावित किसी विधेयक या नीति को अस्वीकार कर दे। यदि यह स्वीकृति विधान सभा की ओर से होती है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है।

(IV) बजट पर कटौती —

मंत्रिमंडल विधानमंडल की स्वीकृति के बिना आय-व्यय से सम्बंधित कोई कार्य नहीं कर सकता। विधानसभा द्वारा बजट में कटौती से मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है।

(V) प्रशासनिक जाँच —

मंत्रिपरिषद के कार्यों की जाँच-पड़ताल के लिए एक जाँच-समिति गठित कर सकता है।

(VI) अविश्वास प्रस्ताव —

विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पास कर मंत्रिपरिषद को पदच्युत कर सकता है।

इस प्रकार सैद्धांतिक रूप से विधानमंडल विशेषज्ञ से विधानसभा मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखती है, लेकिन व्यवहारिक स्थिति ठीक इसके विपरीत है। व्यवहार में

Page No.

Saathi

Date __/__/____

विधानसभा मंत्रिपरिषद् पर नियंत्रण नहीं रखती, वरन् मंत्रिपरिषद् द्वारा विधानसभा पर निम्नलिखित आधारों के आधार पर नियंत्रण रखा जाता है —

(i) मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल का नेता होने के आधार पर विधानसभा पर नियंत्रण रखता है। विधानसभा के बहुमत दल के सदस्य दलीय अनुशासन के कारण मुख्यमंत्री का समर्थन करने के लिए बाध्य होते हैं।

(ii) कानून निर्माण के क्षेत्र में भी नेतृत्व मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है।

(iii) वित्तीय क्षेत्र में जिस रूप में बजट पेश किया जाता है उसे विधानसभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।

(iv) विधानसभा पर मंत्रिमंडल के नियंत्रण का अंतिम महत्वपूर्ण साधन मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा को भंग करने की शक्ति है।

वैसे विधानमंडल, खासकर विधानसभा और मंत्रिपरिषद् के बीच सम्बंध इस बात पर भी निर्भर करता है कि मंत्रिपरिषद् में एक राजनीतिक दल है या अनेक दल से मंत्रिपरिषद् का गठन किया गया है। यदि एक राजनीतिक दल की है तो विधानमंडल के साथ अधिक शक्ति का परिचय देता है।

× ——— × ——— × ——— × ——— ×

सम्भावित प्रश्न :

मंत्रिपरिषद् और विधानसभा के मध्य सम्बंधों की समीक्षा कीजिए।

Page No.

Scanned with CamScanner